कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर

पत्रांक 1714 /141 दिनॉक, कानपुर, दिसम्बर -19- 2018

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक (निर्माण इकाई)
उ0प्र0 जल निगम
घाटमपुर, कानपुर

विषयः– कानपुर में उ0प्र0 जल निगम द्वारा विधनू कैनाल से घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तक पानी ले जाने हेतु एन0एच0–86 के किनारे किमी0 20.800 से 61.900 तक पाइप लाइन डालने हेतु 14.385 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1258 वृक्षों एवं 1428 ब्रिकगार्ड पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/08/ 77/2018/एफ0सी0/539 दिनांक 10.12.2018।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद कानपुर नगर की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तो के आधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तो के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 03–03 प्रतियों सहित रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. **बिन्दु संख्या–1** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 14.385 हे0 संरक्षित वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल अर्थात 28.77 हे0 में दस वर्षो तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 70,52,325/–(सत्तर लाख बावन हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
2. **बिन्दु संख्या–2 क** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 14.385 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 1,15,51,155/– (एक करोड़ पन्द्रह लाख एक सौ पचपन मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
3. **बिन्दु संख्या–2 ख** के अनुसार क्षतिपूरक, एन0पी0वी0 व अन्य वांछित धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4. **बिन्दु संख्या–2 ग** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
5. **बिन्दु संख्या–3** का अनुपालन किये जाने हेतु प्रश्नगत प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने तथा अक्षांश व देशान्तर मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखे जाने का कार्य प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
6. **बिन्दु संख्या–4** पाईप लाईन डालने हेतु खुदाई के उपरान्त मलवे को ठीक उसी स्थान पर भरा जाएगा एवं पाईप लाईन बिछाने के उपरान्त मिट्टी भरान के पश्चात यथा सम्भव उपयुक्त प्रजाति के पौधों/बांस का रोपण परियोजना व्यय पर किया जाएगा, इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।
7. **बिन्दु संख्या–5** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करेंगे।
8. **बिन्दु संख्या–6** Letter of authorization issued by Neyveli Uttar Pradesh Power Limited shall be submittesd giving clarification that UP Jal Nigam is a joint User Agency with NUPPL for executing the project.
9. **बिन्दु संख्या–7** Copy of "Memorandum of Understanding" signed with UP Jal Nigam for execution of project shall be submitted by Neyveli Uttar Pradesh Power Limited.
10. **बिन्दु संख्या–8** वृक्षों का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को हानि नहीं पॅहुचाई जाएगी, खुदाई सुरक्षित रूप से रखी जायेगी।

11.बिन्दु संख्या–9 वृक्षों की कटाई, पातन, लौगिग एवं परिवान आदि व्यय का वहन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा, इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

12.बिन्दु संख्या–10 पाईप लाईन बिछाने का कार्य ट्रेंच खुदाई सहित 3.5 मीटर की चौड़ाई में सीमित रखा जायेगा। मिट्टी खुदाई एवं भराई का कार्य पूर्ण लम्बाई को segments में बॉटकर क्रमानुसार किया जायेगा।

13.बिन्दु संख्या–11 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें।

14.बिन्दु संख्या–12 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया जाएगा।

उपरोक्त सभी शर्तो के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर